उत्तर रेलवे

भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेलवे

वेबसाइट : www.rrcnr.org

रोजगार सूचना सं. आरआरसी/एन आर 01/2016/सीक्यू

वर्ष 2016–17 के लिए सांस्कृतिक कोटे के लिए भर्ती

वर्ष 2016–17 के लिए उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस और उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर सांस्कृतिक कोटे के लिए ग्रुप ''सी'' में ग्रेड वेतन 1900 रुपए सहित वेतन बैंड 5200–20200 रुपए में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (विशेष पदों पर बाद में निर्णय लिया जाएगा) में दो पदों पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **मात्र आरआरसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने पर ही प्रत्याशी लिखित परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए हकदार नहीं होंगे। आवेदक की उम्मीदवारी केवल ऑनलाइन भरे हुए आवेदन (भाग – 1) के प्रिंटआउट आरआरसी कार्यालय में प्राप्त हो जाने के बाद और आवेदन के भाग – 2 के साथ प्रत्याशी द्वारा औपचारिकता पूरी करने के बाद विचार में ली जाएगी जैसे : लिखित पैराग्राफ, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, फोटो आदि। आवेदन के इस प्रिंटआउट के साथ भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में निर्धारित शुल्क सभी आवश्यक संलग्नक संलग्न होने चाहिए।** ये पद सभी प्रत्याशियों के लिए खुले हैं। विशिष्ट श्रेणी और तैनाती के स्थान के लिए चुने गए प्रत्याशी की प्रस्तावित नियुक्ति के समय पर उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कोई पद अ. पि. वर्ग / अनु. जाति / अनु. जनजाति / पूर्व सैनिक / शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशियों के लिए आरक्षित नहीं है। आवश्यक संलग्नक पत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट नीचे उल्लिखित रूप में अंतिम तिथि से पहले केवल सहायक कार्मिक अधिकारी / आरआरसी, रेल भर्ती प्रकोष्ठ, लाजपत नगर–1, नई दिल्ली–110024 के पास डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए या कार्यालय घंटों के दौरान आरआरसी कार्यालय में उपलब्ध ड्रॉप बॉक्स में डाले जाएं।

प्रकाशन की तिथि	समापन की तिथि और समय	लिखित / ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि
01.11.2016	ऑनलाइन आवेदन के लिए – 30.11.2016 को 17.00 बजे तक। आरआरसी कार्यालय में संलग्नकों के साथ ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट जमा करने के लिए – 07.12.2016 को 17.00 बजे तक	01.01.2017 से 31.01.2017 के बीच

1.0 पदों और योग्यता के विवरण :–

क्र. सं.	पद	ग्रेड	रिक्ति	तैनाती	न्यूनतम शैक्षणिक/अनिवार्य सांस्कृतिक और वांछनीय योग्यता
1.	गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां शास्त्रीय गायन (गायक) के लिए एक पद और ग्रुप 'सी' में तबला वादक के लिए एक पद।	रु. 5200–20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900	02	उत्तर रेलवे	**अनिवार्य योग्यता :–** (i) 12वीं (+2 श्रेणी) या कुल में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इसकी समकक्ष परीक्षा। अनु. जाति / अनु. जनजाति / भूतपूर्व सैनिक के मामले में 50 प्रतिशत अंकों का आग्रह नहीं किया जाता है। (ii) प्रत्याशी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से शास्त्रीय गायन के लिए गायन और तबला वादक में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र प्राप्त होना चाहिए। **वांछनीय योग्यता :–** (1) एआईआर / दूरदर्शन आदि में दिए गए क्षेत्र और प्रदर्शन में अनुभव (2) राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता।

टिप्पणी :– लिपिक श्रेणी में सांस्कृतिक कोटे में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के अंदर टाइपिंग में प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक होगा और उनकी नियुक्ति निर्धारित अवधि के अंदर टाइपिंग योग्यता प्राप्त करने के तक अनंतिम होगी। (बोर्ड पत्र सं. ई(एनजी) ।। / 98 / आरआर –2 / 7 दिनांक 03.03.1999)

2.0 आयु सीमा (01.01.2017 के अनुसार आयु)

पद	श्रेणी	अनारक्षित	अ. पि. वर्ग	अनु. जाति / अनु. जनजाति	पूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूडी और सेवारत रेल कर्मचारी
ग्रुप 'सी'	आयु	18 से 29 वर्ष	18 से 30 वर्ष	18 से 34 वर्ष	नियमों के अनुसार आयु में छूट की सीमा

टिप्पणी :–

(i) अनु. जाति / अनु. जनजाति समुदाय से संबंधित प्रत्याशियों को वेबसाइट **www.rrcnr.org** में उपलब्ध फॉर्मेट में समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। **(अनुलग्नक – क)**।

(ii) अ. पि. वर्ग से संबंधित प्रत्याशियों को आरआरसी / एनआर की वेबसाइट **www.rrcnr.org** में उपलब्ध फॉर्मेट में समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। **(अनुलग्नक – ख)**। प्रस्तुत अ. पि. वर्ग प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अ. पि. वर्ग प्रत्याशियों को आरआरसी / एनआर की वेबसाइट **www.rrcnr.org** पर उपलब्ध में दिए गए प्रोफार्मा में नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति की स्व–घोषणा संलग्न करनी चाहिए **(अनुलग्नक – ग)**।

(iii) सेवारत कर्मचारी और रेल संगठनों के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी को ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' प्रस्तुत करना और नियोक्ता से नियमित सेवा आदि की अवधि का ''वास्तविक प्रमाणपत्र'' देने चाहिए।

(iv) तलाकशुदा / कानूनी तौर पर अलग रहने वाली महिलाएं : एक शपथ पत्र कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है, सहित तलाकशुदा / कानूनी तौर पर अलग रहने वाली महिलाओं द्वारा कानून की सक्षम अदालत से डिक्री की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

(v) विधवा : एक शपथ पत्र कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है, सहित अपने पति का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए।

(vi) पूर्व – सैनिक : छुट्टी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

(vii) निःशक्त व्यक्ति : आरआरसी की वेबसाइट पर दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में उपयुक्त सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए **(अनुलग्नक – घ)**।

3.0 चिकित्सा परीक्षा : नियुक्ति की सिफारिश किए गए प्रत्याशियों को उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा चुने गए पद के लिए निर्धारित उत्तीर्ण अपेक्षित चिकित्सा फिटनेस मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

4.0 परीक्षा शुल्क :

(i) **उप पैरा में उनके अलावा उल्लिखित सभी प्रत्याशियों के लिए (ii) केवल रुपए 500 (केवल पांच सौ रुपए) से कम। एफए एंड सीएओ / उत्तर रेलवे** के पक्ष में आलेखित आईपीओ जो **नई दिल्ली – 110024** में देय होना चाहिए। प्रत्याशियों को आईपीओ में अपना नाम और पूरा पता लिखना आवश्यक है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

(ii) **अनु. जाति / अनु. जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / निःशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), महिलाओं, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए : केवल रुपए 250 (दो सौ पचास रुपए)। परीक्षा शुल्क उन लोगों को वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में वास्तविक तौर पर आते हैं।**

टिप्पणी : *'अल्पसंख्यक'* का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी (पारसी) और सिख। **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग** से अर्थ उन प्रत्याशियों से हैं जिनकी पारिवारिक आय रुपए 50,000 प्रतिवर्ष से कम है।

निम्नलिखित अधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य के लिए आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं :

(क) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक अन्य कोई राजस्व अधिकारी

(ख) व्यक्ति के अपने निर्वाचन क्षेत्र का पदस्थ लोक सभा सांसद।

(ग) मान्यता प्राप्त निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र।

(घ) केंद्रीय मंत्री द्वारा किसी भी व्यक्ति की देश भर में सिफारिश की जा सकती है।

(ङ) उन जिले के व्यक्ति के लिए राज्य सभा के पदस्थ सांसद जिसमें सामान्य तौर पर सांसद निवास करता है।

उपरोक्त उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र **अनुलग्नक 'ङ'** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। यह जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हैड पर जारी किया जाए।

(iii) इस रोजगार सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले या समापन तिथि के बाद जारी आईपीओ को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन प्रपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iv) प्रत्याशी आईपीओ में प्रदान किए गए स्थान में अपना नाम, पूरा पता लिखना चाहिए।

(v) परीक्षा शुल्क केवल भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा किया जा सकता है। नकद / चैक / मनी ऑर्डर / डिमांड ड्राट केंद्रीय भर्ती शुल्क स्टेप आदि सहित प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

5.0 परिवीक्षा की अवधि – 2 वर्ष

6.0 प्रशिक्षण की अवधि – यदि कोई हों। चुने गए प्रत्याशी को उस पद की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा जिसके लिए उसे चुना गया है।

7.0 प्रत्याशी द्वारा करार / प्रतिभूति जमा / हस्ताक्षर करने / प्रस्तुत करने के लिए बॉन्ड के विवरण – चुने गए प्रत्याशियों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने संबंधित प्रभाग में सेवा प्रदान करने का एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा और सहमति देनी होगी। चुने गए प्रत्याशियों को रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर आयोजित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों / प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा।

8.0 तैनाती का स्थान

(i) चुने गए प्रत्याशी उत्तर रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली और उत्तर रेल के दिल्ली प्रभाग में तैनात किए जाएंगे।

9.0 भर्ती के लिए योजना : भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित निहित होंगे :–

(क)	प्रवीणता परीक्षा के लिए योग्यता हेतु ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा	50 अंक
(ख)	निम्न के आधार पर संगत क्षेत्र में प्रतिभा के आकलन के लिए प्रवीणता परीक्षा	
	(i) प्रायोगिक प्रदर्शन	35 अंक
	(ii) प्रशंसा पत्र / पुरस्कार आदि	15 अंक
	कुल	100 अंक

टिप्पणी : परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी है। प्रवीणता परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा केवल दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

10.0 आवेदन कैसे भरें :– ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनाए जाने वाले चरण

क) **"CULTURAL QUOTA ONLINE/E-Application"** लिंक पर क्लिक करें।

ख) **"Candidate Registration"** पर क्लिक करें।

ग) बुनियादी विवरण अर्थात नाम, समुदाय, श्रेणी, मोबाइल नं., ई–मेल आईडी और जन्मतिथि भरें।

घ) रजिस्टर पर क्लिक करें और यदि रजिस्टर सफलतापूर्वक हो जाता है तो आगे बढ़ें।

ङ) प्रत्याशी के डैशबोर्ड पर। Application Form, Upload Photo और Print Application आएगा।

च) **"Application Form"** पर क्लिक करें।

छ) आवेदन प्रपत्र (भाग 1) में विवरण भरें। विवरण सेव करें और यदि आवश्यक होता है तो एडिट करें और अंत में विवरण सेव करें।

ज) प्रत्याशियों को पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि से लॉगइन करना होगा। अब आवेदन प्रपत्र **(भाग 1)** पूरा होने पर पंजीकरण संख्या मिलेगी और इसका संदेश पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।

झ) अब **"Candidates Dashboard"** में फोटो कॉलम अपलोड पर क्लिक करें और प्रत्याशी रचह फॉर्मेट में 10 से 50 केबी साइज वाले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करें।

ञ) अपलोडिंग के बाद **"Save Images"** पर क्लिक करें।

ट) प्रत्याशी डैशबोर्ड में "Print Application" पर जाएं।

ठ) **अब प्रत्याशी आवेदन प्रिंटआउट के भाग 2 को पूरा करने के लिए अपनी हस्तलिपि में घोषणा भरेंगे (बड़े अक्षरों में नहीं लिखें) हिंदी या अंग्रेजी में केवल नीले या काले बॉलपॉइंट पैन से लिखें। प्रत्याशी को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा अंगूठे का निशान लगाना होगा।**

ड) एक हाल में ली गई (एक माह से अधिक पुरानी नहीं) पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीर, जिसमें टोपी या रंगीन कांच का चश्मा नहीं होना चाहिए, इसे आवेदन पत्र के प्रिंटआउट (भाग 2) में दिए गए स्थान में गोंद से अच्छी तरह चिपकाना चाहिए (स्टेपल नहीं किया जाए)।

ढ) निर्दिष्ट परीक्षा शुल्क के विवरण भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में आवेदन पत्र के भाग 2 में दिए स्थान में भरे जाएं।

ण) **केवल एक आवेदन** आवेदक को इस अधिसूचना के तहत केवल एक आवेदन जमा करना चाहिए और एक से अधिक आवेदन जमा करने से उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य माना जाएगा। फिर भी यदि प्रत्याशी का चूकवश चयन हो जाता है तो उसे किसी भी चरण पर अयोग्य कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11.0 आवेदन जमा करना :

(i) प्रत्याशी आरआरसी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध ऑनलाइन अवेदन को भर सकते हैं। विधिवत भरे गए ऑनलाइन आवेदनों के प्रिंटआउट के साथ अनुलग्नक आवश्यक पैराग्राफ लिखने, अंगूठे का निशान लगाने तथा इस पर हस्ताक्षर सहित फोटो लगाने के बाद इसे डाक द्वारा **सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेल, लाजपत नगर, नई दिल्ली, पिन – 110024** के पास भेजा जाए या रेल भर्ती प्रकोष्ठ, लाजपत नगर – 1, नई दिल्ली – 24 में रखे गए **आवेदन बॉक्स** में समापन तिथि के अंदर **(अर्थात 7.12.2016 को 17.00 बजे तक)** डाला जाए। (अंडमान और निकोबार द्वीप, जम्मू और कश्मीर, लहौल और स्पिति जिला, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में पांगी उप संभाग, लक्षद्वीप तथा विदेश में रहने वाले प्रत्याशियों के लिए **अंतिम तिथि** केवल डाक द्वारा **15.12.2016 है**)। आवेदन एक लिफाफे में भेजा जाए जिस पर लिखा होना चाहिए **"सांस्कृतिक कोटे में भर्ती के लिए आवेदन"**।

(ii) यदि प्रविष्टि प्रत्याशी के लिए लागू नहीं है तो उस कॉलम में 'लागू नहीं' (एनए) लिखा जाए।

(iii) पिन कोड सहित प्रत्याशी का पूरा डाक पता निकटतम रेलवे स्टेशन के नाम और स्थायी पते के साथ लिखा जाए।

(iv) प्रत्याशी को आवेदन प्रपत्र में बताए गए अलग अलग स्थानों पर पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए (संक्षिप्त नहीं)। बड़े / ब्लॉक अक्षरों में हस्ताक्षर या अलग अलग स्थानों पर भिन्न हस्ताक्षरों से इसे अस्वीकार किया जाएगा। प्रवेश कार्ड और उत्तर पुस्तिका तथा तस्वीर पर हस्ताक्षर की भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) की शैली और लिपि आवेदन प्रपत्र के सभी स्थानों पर समान होनी चाहिए। इस पर पूरी सावधानी रखी जाए। कोई भिन्नता होने पर प्रत्याशी अयोग्य कर दिया जाएगा।

(v) आयु, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अनिवार्य योग्यताओं / प्रशंसा पत्रों / पुरस्कारों के विषय में प्रमाणपत्रों की सभी प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित होनी चाहिए और इन्हें आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाए।

11 (क) आवेदन के संलग्नक : आवेदक को आरआरसी / एनआर में जमा किए जाने वाले आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक संलग्न करने चाहिए, अन्यथा उनके आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

क. जन्मतिथि का साक्ष्य (10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)।

ख. श्रेणी / पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का साक्ष्य।

ग. अनु. जाति / अनु. जनजाति / अल्पसंख्यक / आर्थिक रूप से पिछड़े / पीडब्ल्यूडी / पूर्व सैनिक आदि से संबंधित मामले में अनुलग्नक – क से अनुलग्नक – ङ के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में प्रमाणपत्र।

घ. केवल भारतीय पोस्टल ऑर्डर के प्रपत्र में निर्धारित परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क की अन्य कोई विधि स्वीकार नहीं की जाएगी।

मूल प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किए जाने हैं। रेल प्रशासन या आरआरसी मूल प्रमाणपत्र, यदि कोई हों, प्रत्याशी द्वारा संलग्न करने पर होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

12.0 सामान्य निर्देश :

इस अधिसूचना के उत्तर में प्रत्याशियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने के समय पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं।

यह प्रत्याशियों की जिम्मेदारी है कि वे दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाणपत्र / दस्तावेज जमा करें। भर्ती के सभी चरणों पर प्रत्याशी का प्रवेश पूरी तरह अनंतिम, निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। प्रत्याशी लिखित परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन / प्रवीणता परीक्षा / चिकित्सा जांच में रेल प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट तिथि; समय और स्थान पर भाग लेंगे। तिथि, समय और स्थान में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(i) आयु, समुदाय, शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं, सांस्कृतिक योग्यता और पुरस्कार पाने आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

(ii) शुल्क वापसी आदि का दावा करने के लिए आवश्यक साक्ष्य आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

जारी अगले पेज पर...

(iii) अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाणपत्र अंग्रेजी / हिंदी में सत्यापित अनुवाद के साथ दिया जाना चाहिए।

(iv) अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण जमा करें।

(v) **यात्रा व्यय** : अनु. जाति / अनु. जनजाति के प्रत्याशियों को अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से लिखित परीक्षा के स्थान तक द्वितीय श्रेणी का मुत पास दिया जाएगा। अन्य लोगों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(vi) प्रत्याशियों को आरआरसी की वेबसाइट के संपर्क में रखना चाहिए, जो भिन्न जानकारियों जैसे पात्र / अपात्र, परीक्षा की तिथि, प्रवेश कार्ड जारी करना, परीक्षा केंद्र आदि की जानकारी का प्राथमिक स्रोत है।

(vii) परीक्षा के पहले प्रत्याशियों को ई–प्रवेश कार्ड के साथ अधिसूचना, अनुदेशों में और लिखित परीक्षा / ऑनलाइन परीक्षा के पहले / दौरान बताए गए अनुदेश, प्रश्न पत्र पुस्तिका का कवर पेज, ओआरएम उत्तर पुस्तिका सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और इनका कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। अनुदेशों का पालन करने में विफल रहने पर ओएमआर का मूल्यांकन रोका जा सकता है और प्रत्याशी अयोग्य हो सकता है।

(viii) रेल प्रशासन को परीक्षा की विधि में बदलाव करने या लिखित परीक्षा दोबारा आयोजित करने या भर्ती के किसी भी चरण पर पुनः प्रतिबद्धता की किसी प्रक्रिया को कोई कारण बताए बिना किसी भी चरण पर रद्द करने का अधिकार है।

(ix) आरआरसी को विभिन्न तिथि तथा स्थानों पर बैच में परीक्षा आयोजित करने का अधिकार है, जैसा आरआरसी द्वारा तय किया जाता है।

(x) सांस्कृतिक कोटे की योजना रेल बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी और यह सभी पर बाध्य होगी।

13.0 अवैध आवेदन / अस्वीकार करना :

प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी अनुदेश अच्छी तरह पढ़ें और इसके बाद संलग्नकों के साथ प्रिंटआउट आरआरसी कार्यालय जमा करें क्योंकि आवेदन नीचे दिए गए एक या अनेक कारणों से अस्वीकार किए जा सकते हैं।

(i) आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होना।

(ii) आवेदन को किसी भी पक्ष में अधूरा भरना / आवेदन के कॉलम अधूरे छोड़ना।

(iii) केवल भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में निर्दिष्ट परीक्षा शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन।

(iv) हस्ताक्षर के बिना / बड़े अक्षरों या फैले हुए अक्षरों के साथ आवेदन या अलग अलग स्थानों पर चयन प्रक्रिया के दौरान अलग अलग हस्ताक्षर मिलना।

(v) बाएं अंगूठे के निशान या दाएं अंगूठे के निशान जैसा भी मामला हो, इसे आवेदन प्रपत्र पर चिपकाया नहीं गया हो / धुंधला / अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।

(vi) पद के लिए निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यताएं और अन्य योग्यता नहीं होना।

(vii) अधिक उम्र, कम उम्र, जन्मतिथि गलत भरना या नहीं भरना।

(viii) समापन तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन।

(ix) आवेदन अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में भरे गए हों।

(x) मात्र आरआरसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने से ही प्रत्याशी लिखित परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए हकदार नहीं होंगे। आवेदक की उम्मीदवारी केवल ऑनलाइन भरे हुए आवेदन (भाग – 1) के प्रिंटआउट आरआरसी कार्यालय में प्राप्त हो जाने के बाद और आवेदन के भाग – 2 के साथ प्रत्याशी द्वारा औपचारिकता पूरी करने के बाद विचार में ली जाएगी जैसे : लिखित पैराग्राफ, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, फोटो आदि। आवेदन के इस प्रिंटआउट के साथ भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में निर्धारित शुल्क सभी आवश्यक संलग्नक संलग्न होने चाहिए।

(xi) अन्य किसी अनियमितता के कारण, जिसे उत्तर रेल द्वारा अवैध माना जाता है। उपरोक्त दी गई सभी सूची केवल प्रतीकात्मक है, संपूर्ण नहीं है।

14.0 विविध :

(i) रेल प्रशासन विज्ञापन में चूकवश हुई किसी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और न ही डाक के विलंब या गलत प्रदायगी के लिए जिम्मेदार होगा।

(ii) पात्रता, आवेदन की स्वीकार्यता या अस्वीकार करने आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम और प्रत्याशियों पर बाध्यकारी होगा तथा इस विषय में किसी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी कानूनी विवाद के मामले में क्षेत्राधिकार नई दिल्ली में होगा।

(iv) यह रोजगार सूचना आरआरसी वेबसाइट में उपलब्ध है। दोनों संस्करणों में कोई अस्पष्टता / विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।

(v) मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या अन्य किसी कंप्यूटर / संचार / इलेक्ट्रॉनिक उपकरण / गजट परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित हैं। यदि किसी प्रत्याशी के पास उपकरण / गजट पाए जाते हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे रेलवे द्वारा आयोजित की जाने वाली भावी परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। प्रत्याशियों को उनके हित में कठोरतापूर्वक सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा स्थल तक कोई भी निषिद्ध सामग्री नहीं लाएं क्योंकि परीक्षा परिसर में उनकी चीजें रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

(vi) यदि आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने में कोई कठिनाई होती है तो वह आरआरसी वेबसाइट पर 01.11.2016 से उपलब्ध हेल्प लाइन नंबरों पर आवश्यक सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।

15.0 सिफारिश/अभद्र व्यवहार :

किसी भी रूप में सिफारिश, गलत व्यवहार, गलत आचार से उसे अस्वीकार किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द करने के साथ इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। यह विज्ञापन उत्तर रेल की आधिकारिक वेबसाइट **www.rrcnr.org** पर भी देखा जा सकता है।

अध्यक्ष / रेल भर्ती प्रकोष्ठ
उत्तर रेल

प्रत्याशियों को आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले साथ में निम्नलिखित प्रमाणपत्र रखना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण
1	शुल्क की वापसी के लिए शैक्षणिक / निपुणता / अ. पि. वर्ग / अनु. जाति / अनु. जनजाति/ पूर्व सैनिक प्रमाणपत्र, आईपीओ विवरण बैंक खाते और आईएफएससी विवरण, यदि लागू हों।
2	कैप, गोगल्स के बिना नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान की स्कैन प्रति (फोटो फाइल jpg, jpeg, png, gif फॉर्मेट में और इसका साइज 80 केबी के अंदर होना चाहिए)

NEW उत्तर रेल 2016–17 के सांस्कृतिक कोटे के लिए ऑनलाइन आवेदन / ई–आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

अनुलग्नक – 'क'

एक प्रत्याशी यदि अनु. जाति या अनु. जनजाति का होने का दावा करता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट या उप संभागीय अधिकारी या नीचे बताए गए जिले के अन्य किसी अधिकारी से नीचे दिए गए प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति अपने दावे के समर्थन में जमा करनी चाहिए जिसमें उसके माता –पिता (या जीवित माता–पिता) साधारण तौर पर निवास करते हैं और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का सक्षम माना गया है। यदि दोनों माता –पिता जीवित नहीं है तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें प्रत्याशी स्वयं निवास करता है अन्यथा अपनी शिक्षा के प्रयोजन से रहता है। जहां कहीं प्रमाणपत्र का अनिवार्य हिस्सा तस्वीर है तो आरआरसी उक्त प्रमाणपत्र की केवल स्वयं सत्यापित प्रतियां स्वीकार करेगा और इसके लिए अन्य कोई सत्यापित या सत्य प्रति आवश्यक नहीं है।

(भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनु. जाति / अनु. जनजाति प्रत्याशियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी*... पुत्र / पुत्री* श्री / श्रीमती ....गांव / कस्बा .... जिला / संभाग* ....राज्य / संघ राज्य* के निवासी हैं जो निम्नानुसार अनु. जाति / अनु. जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं :

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951* (अनुसूचित जनजाति और अनु. जनजाति सूची संशोधन द्वारा संशोधित) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976)
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
- संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@ (अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976@ द्वारा संशोधित
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962. संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- संविधान (पोंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@.
- संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@.
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@.
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@.
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@.

श्री / श्रीमती / कुमारी* .... और उसका* परिवार आम तौर पर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* .... के .... जिले / प्रभाग' के .... गांव, कस्बे .... में रहता है।

हस्ताक्षर ....
**पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर सहित) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**

स्थान ....
तिथि ....

*कृपया शब्द हटाएं जो लागू नहीं हैं।

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश कोट करें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त पद ''साधारण तौर पर निवास'' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के समान अर्थ में है।

** जाति / अनु. जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी :

** जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही दंडाधिकारी / शहर दंडाधिकारी / उपखंड दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही दंडाधिकारी के पद से नीचे नहीं), मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी / प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी / राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं / उस क्षेत्र के उप संभागीय अधिकारी जहां प्रत्याशी और / या उसका परिवार रहता है।

टिप्पणी : तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनु. जाति के प्रत्याशियों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जाति प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।

अनुलग्नक – ख

भारत सरकार के अधीन पद की नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी*.. पुत्र / पुत्री* श्री / श्रीमती ....गांव / कस्बा .... जिला / संभाग ....राज्य के निवासी निम्नानुसार पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से हैं :

1) संकल्प सं.12011/68/93–बीसीसी दिनांक 10 सितंबर 1993, भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 1 सं. 186 में प्रकाशित दिनांक 13 सितंबर 1993.
2) संकल्प सं.12011/9/94–बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 1 सं. 163 में प्रकाशित दिनांक 20 अक्टूबर 1994.
3) संकल्प सं.12011/7/95–बीसीसी दिनांक 24 मई 1995 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 1 सं. 88 में प्रकाशित दिनांक 25 मई 1995.
4) संकल्प सं.12011/44/96–बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 1 सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 11 दिसंबर 1996.
5) संकल्प सं.12011/68/93–बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र सं. 129 में प्रकाशित दिनांक 8 जुलाई 1997.
6) संकल्प सं.12011/12/96–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 164 में प्रकाशित दिनांक 1 सितंबर 1997.
7) संकल्प सं.12011/99/94–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 236 में प्रकाशित दिनांक 11 दिसंबर 1997.
8) संकल्प सं.12011/13/97–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 239 में प्रकाशित दिनांक 3 दिसंबर 1997.
9) संकल्प सं.12011/12/96–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 166 में प्रकाशित दिनांक 3 अगस्त 1998.
10) संकल्प सं.12011/68/93–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 171 में प्रकाशित दिनांक 6 अगस्त 1998.
10) संकल्प सं.12011/68/98–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 241 में प्रकाशित दिनांक 27 अक्टूबर 1999.
12) संकल्प सं.12011/88/98–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 270 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसंबर 1999.
13) संकल्प सं.12011/36/99–बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 71 में प्रकाशित दिनांक 4 अप्रैल 2000.

श्री / श्रीमती / कुमारी*.. और / या उनका परिवार साधारण तौर पर राज्य ....के ....जिले /संभाग में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय दिनांक 08/09/93 के ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93 – स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति / अनुभाग (क्रीमी लेयर) से नहीं है, जो दिनांक 09/03/2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033 /3 /2004 स्थापना (रेस.) द्वारा संशोधित किया गया है।

स्थान : **जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त आदि**
तिथिः *मिटाएं जो लागू नहीं है। (कार्यालय की मुहर सहित)

टिप्पणी : जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही दंडाधिकारी / शहर दंडाधिकारी / उपखंड दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही दंडाधिकारी के पद से नीचे नहीं), मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी / प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी / राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं / उस क्षेत्र के उप संभागीय अधिकारी जहां प्रत्याशी और / या उसका परिवार रहता है।

अनुलग्नक – ग

आरआरसी .... के रोजगार सूचना सं. .... के पदों के लिए आवेदन करते समय आवेदन सहित अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों द्वारा जमा किए जाने के लिए घोषणा हेतु प्रोफार्मा।

घोषणा पत्र

श्री.. पुत्र / पुत्री.. निवासी गांव /नगर /शहर...जिला...................................राज्य..................................एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं ....समुदाय से हूं, जिसे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय दिनांक 08/09/93 के ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93 – स्थापना (एससीटी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय दिनांक 08/09/93 के ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93 – स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति / अनुभाग (क्रीमी लेयर) से नहीं हूं, जिसे दिनांक 09/03/2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033 /3 /2004 स्थापना (रेस.) द्वारा संशोधित किया गया है।''

स्थान :-------------------- प्रत्याशी के हस्ताक्षर

तिथि : -------------------- ---------------------------------
प्रत्याशी का नाम

जारी अगले पेज पर...

अनुलग्नक – घ

निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रपत्र
संस्थान / अस्पताल का नाम और पता

प्रमाणपत्र सं. .... तिथि ....

निःशक्ता प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि
श्री / श्रीमती / कु.* ....
श्री .... के पुत्र / पुत्री*...........................
.................................नीचे के रूप में चिन्हित पहचान वाले आयु.................. लिंग
पुरुष / महिला निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से पीड़ित है।

निःशक्तता दर्शाने वाले आपके हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ यहां लगाएं (फोटोग्राफ चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

फोटोग्राफ के नीचे दिए गए उपरोक्त बॉक्स में प्रत्याशी के हस्ताक्षर

क. लोकोमोटर या सेरेब्रल पल्सी :
(i) बीएल – दोनो पैर प्रभावित किंतु हाथ नहीं
(ii) बीए – दोनों हाथ प्रभावित (क) क्षतिपूर्ण पहुंच
(ख) पकड़ की कमजोरी
(iii) ओएल – एक पैर प्रभावित (दाएं या बाएं) (क) क्षतिपूर्ण पहुंच
(ख) पकड़ की कमजोरी
(ग) एटेक्सिक (विषम)
(iv) ओए – एक हाथ प्रभावित (दाएं या बाएं) (क) क्षतिपूर्ण पहुंच
(ख) पकड़ की कमजोरी
(ग) एटेक्सिक (विषम)
(v) बीएच – अकड़ी पीठ और कूल्हे (बैठ या खड़े नहीं हो सकते)
(vi) एमडब्ल्यू – मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. दृष्टिहीन या कम दृष्टि
(i) बी – नेत्रहीन
(ii) पीबी – आंशिक रूप से नेत्रहीन

ग. श्रवण बाधित
(i) डी–बधिर
(ii) पीडी–आंशिक रूप से बधिर

(श्रेणी को हटाएं जो लागू नहीं है)

2. इस स्थिति में प्रगामी रूप से सुधार आने की संभावना है / सुधार की संभावना नहीं है / इस मामले में छोड़ने की सिफारिश नहीं की जाती / .... वर्ष .... माह की अवधि के बाद सिफारिश की जाती है।
3. इसके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... प्रतिशत है।
4. श्री / श्रीमती / कु.* .... उनके कर्तव्य के निर्वहन के लिए निम्नलिखित भौतिक आवश्यकता पूरी करता / करती है :

(i)	एफ– अंगुलियों में फेरबदल करके कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
ii)	पीपी – खींचने और धकेलने के कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(iii)	एल – उठाने के कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(iv)	केसी – घुटने टेककर और क्राउचिंग के कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(v)	बी – झुक कर कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(vi)	एस – बैठ कर कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(vii)	एसटी – खड़े होकर कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(viii)	डब्ल्यू – चलने के कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(ix)	एसई – देख कर कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(x)	एच – सुन कर / बोल कर कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐
(xi)	आरडब्ल्यू – पढ़ कर / लिख कर कार्य का प्रदर्शन कर सकता है।	हां ☐	नहीं ☐

(डॉक्टर के हस्ताक्षर)	(डॉक्टर के हस्ताक्षर)	(डॉक्टर के हस्ताक्षर)
नाम :	नाम :	नाम :
पंजीकरण सं.	पंजीकरण सं.	पंजीकरण सं.
सदस्य, चिकित्सा बोर्ड	सदस्य, चिकित्सा बोर्ड	सदस्य / चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष

* कृपया शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

स्थान :
तिथि :

चिकित्सा अधीक्षक / अस्पतालों के सीएमओ
प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर सहित)

टिप्पणी : (i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) नियम, 1996, के नियम 73 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) नियम, 1996 अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के उप अनुभाग (1) और (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निःशक्तता प्रमाणपत्र देने का प्राधिकार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को होगा। राज्य सरकार द्वारा कम से कम तीन सदस्यों के चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जिसमें से कम से कम एक लोकोमोटर श्रवण और वाणी निःशक्तता, मानसिक आवमंदन और ठीक हो चुके कुष्ठ का आकलन करने के लिए एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, जैसा भी मामला हो।
(ii) प्रमाणपत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिनकी निःशक्तता अस्थायी है। स्थायी निःशक्तता वाले लोगों के लिए वैधता स्थायी दिखाई जा सकती है।

अनुलग्नक – 'ङ'

परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क की माफी / वापसी के लिए आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के लैटर हैड पर जारी किए जाने के लिए आय प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क की माफी / वापसी के लिए आय प्रमाणपत्र

1. प्रत्याशी का नाम :————————————————
2. पिता का नाम :————————————————
3. आयु :————————————————
4. आवासीय पता :————————————————
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और आंकड़ों में) :————————————————
6. जारी करने की तिथि :————————————————
7. हस्ताक्षर : .... (नाम)
8. जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर :

3251/2016

3251_Hindi_25x17cm_October_20_2016